अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

सं. 11/2019-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.िन. 463(अ).— केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के साथ पठित संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए संघ राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छ: महीने से अनिधक अविध तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/90/2019-टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2019

No. 11/2019-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 463(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 55 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable union territory tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation.-For the purposes of this notification, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

[F. No. 354/90/2019-TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2019

सं. 1/2019-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

सा.का.िन. 464(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के साथ पठित माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, उन सभी